सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी

विकास अभियान

सी०एम०–युवा विवरणिका

"हर कदम उद्यमिता की ओर, हर युवा आत्मनिर्भरता की ओर"

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, निर्यात भवन, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001

अधिक जानकारी हेतु कृपया एम.एस.एम.ई. पोर्टल https://msme.up.gov.in पर लॉग–इन करें अथवा अपने जिला उद्योग केन्द्र/सी.एस.सी केन्द्र से सम्पर्क करें ।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
सी0एम0–युवा

- देश के सर्वाधिक युवाओं वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता की गति देने तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यन्त महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम–युवा) की मिशन मोड में शुरूआत की गयी है।

- इस अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष का लक्ष्य सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की 01 लाख इकाईयों की स्थापना कराकर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना।

- दस वर्षो में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाना।

1. योजना की मुख्य बाते

- कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को उत्पाद/सेवा सम्बन्धी उद्यम स्थापित करा कर स्वरोजगार से जोड़ना।

- प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा 10 वर्षो में कुल 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

प्रथम चरण–

- रू0 5.00 लाख तक की परियोजनाओं हेतु 04 वर्षो तक 100 प्रतिशत ब्याज तथा गांरटी मुक्त ऋण।

- सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत, ओ0बी0सी0 को 12.5 प्रतिशत, एस0सी0/एस0टी0/दिव्यांग को 10 प्रतिशत तथा अकांक्षात्मक जिलों – चित्रकूट, चन्दौली, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं बहराइच के लाभार्थियों की 10 प्रतिशत स्वंय का अंशदान जमा करना होगा।

- परियोजना लागत पर 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एवं 04 वर्षो तक सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति।

- परियोजना लागत में भूमि/भवन व्यय सम्मिलित नहीं होगा तथा कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में होना अनिवार्य होगा।

द्वितीय चरण–

- प्रथम चरण मे लिये गये मूलधन/पेनल इंटरेस्ट की पूर्ण वापसी करने वाला अभ्यर्थी पात्र होगा।

- रू0 10.00 लाख तक परियोजना स्थापित की जा सकेंगी, परन्तु रू0 7.5 लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत ब्याज अनुदान 03 वर्षो तक दिया जायगेा।

- ऋण में परियोजना लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत टर्म लोन होना अनिवार्य होगा तथा इसमें वर्कशॉप/वर्कशेड की लागत शामिल की जा सकेगी।

- सी0जी0टी0एम0एस0ई0 कवरेज 03 वर्षो तक।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
सी0एम0–युवा

2. पात्रता की शर्ते

- आयु सीमा–21 से 40 वर्ष।
- शैक्षणिक योग्यता–न्यूनतम कक्षा–8 उत्तीर्ण, इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष को वरीयता।
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ0डी0ओ0पी0 प्रशिक्षण योजना, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी प्रमाण–पत्र/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो।

3. आवेदन प्रक्रिया

- एम0एस0एम0ई0 पोर्टल https://msme.up.gov.in पर ऑन–लाइन आवेदन।
- जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र में ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों का परीक्षणोंपरान्त ऑनलाइन रूप से बैंको को प्रेषण।
- बैंको के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध रूप से ऋण स्वीकृति/वितरण की व्यवस्था।
- बैंको द्वारा ऑनलाइन रूप से मार्जिन मनी, ब्याज उपादान, सी0जी0टी0एम0एस0ई0 प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने की व्यवस्था।

4. विविध

- डिजिटल लेन–देन के सापेक्ष रू0 1 प्रति ट्रांसजैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान प्रति लाभार्थी देय होगा।
- योजना में समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक/ग्रामीण बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित सभी वित्तीय संस्थाएं ऋण वितरण हेतु पात्र।
- तम्बाकू उत्पाद, गुटखा पान मसाला अल्कोहल, वातयुक्त पेय पदार्थ कार्बोनेटेड उत्पाद, पटाखे, प्लास्टिक कैरी बैग (40 माइक्रॉन से कम) अथवा भारत/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबंधित श्रेणी में रखे उत्पाद योजना में लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे।
- योजना का क्रियान्वयन मिशन मोड में होगा। जिले स्तर पर जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र केन्द्रीय एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान

उत्तर प्रदेश सरकार

सहयोगी बैंक

Punjab & Sind Bank
SBI
pnb
बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
Bank of India
Bank of Maharashtra
केनरा बैंक Canara Bank
इंडियन बैंक Indian Bank
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया Central Bank of India
Indian Overseas Bank
यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India
यूको बैंक UCO BANK
Gramin Bank of Aryavart
प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक
बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank
RBL BANK
South Indian Bank
Nainital Bank
Karnataka Bank
kotak
IDFC FIRST Bank
IDBI BANK
ICICI Bank
HDFC BANK
FEDERAL BANK
CSB Bank
Bandhan Bank
AXIS BANK
YES BANK
J&K Bank
IndusInd Bank
AU Small Finance Bank
Equitas Small Finance Bank
JANA Small Finance Bank
SHIVALIK Shivalik Small Finance Bank
ujjivan Ujjivan Small Finance Bank
UNITY Small Finance Bank
Utkarsh Small Finance Bank

विस्तृत जानकारी एवं आवदेन हेतु आज ही अपने जिले के उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क करें।

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, कानपुर/मिशन निदेशक,
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान मिशन कार्यालय, 8 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ–226001
ई–मेल आई0डी0–**cmmyuva@gmail.com**